झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वन भूमि–02/2022– 866 व०प०, राँची, दिनांक–21/03/2022

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं0–A-2,
श्यामली कॉलोनी, राँची–834002

विषय :– डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा–सरियाखुर्द में रेलवे लाईन निर्माण हेतु 1.7587 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–49 दिनांक–18.01.2022 एवं पत्रांक–85 दिनांक–01.02.2022 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(iii) प्रस्तावित वनभूमि के विरूद्ध मौजा–नगर केशवारी पी0एफ0 में चिन्हित 4.00 हे0 अवकृष्ट वनभूमि पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण की राशि देय होगी।

(iv) प्रस्ताव के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक द्वारा प्रस्तावित शर्तों/सुझावों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(v) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
16/3/2022
(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वन भूमि–02/2022– 866 व०प०, राँची, दिनांक–21/03/2022

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/2022
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वन भूमि–02/2022– 866 व०प०, राँची, दिनांक–21/03/2022

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/महाप्रबंधक, DFCCIL, 3rd Floor, DCOS Building E-W Metro, Central Park Depot, Sector-1, Bidhannagar, Salt Lake, Kolkata-700064 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/2022
उप परामर्शी।

O/C

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 1.7587 ha of Forest Land for Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited in Hazaribagh East Forest Division, Jharkhand.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 1.7587 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no.-866 ***dated-***21/03/2022

16/3/2022

Rajdeep Sanjay Lal John
Joint Secretary
Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

संयुक्त सचिव
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi

(17)

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email-pccfedjhk@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक– 85 दिनांक– 01.2.2022

अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
01 FEB 2022
झारखण्ड, राँची

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषयः– **डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल अन्तर्गत मौजा– सरियाखुर्द में रेलवे लाईन के निर्माण हेतु 1.7587 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः– इस कार्यालय के पत्रांक 49 दिनांक 10.01.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र के कंडिका–35 के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 102 दिनांक 27.01.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत् हैः–

"वन्यप्राणी संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव के पार्ट–II में अंकित वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मंतव्य एवं वन संरक्षक, के Site Specific Report पर सहमति व्यक्त की जाती है।"

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक से प्राप्त मंतव्य की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

423
08/02/2022

अपर मुख्य सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं0 365
02 FEB 2022
झारखण्ड, राँची।

D:\Amit\RAILWAY\dfccil sariyakhurd 1.7587.docx

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

Email : pccf-wildlife@gov.in, Phone No. 0651-2481744

पत्रांक 102

दिनांक 27/01/2022

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंज़र भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषयः– **डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल अंतर्गत मौजा–सरियाखुर्द में रेलवे लाईन के निर्माण हेतु 1.7587 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः– **आपका पत्रांक 49 दिनांक 18.01.2022**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में वन्यप्राणी संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव के पार्ट–II में अंकित वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मंतव्य तथा संबंधित वन संरक्षक के Site Inspection Report पर अधोहस्ताक्षरी की सहमति व्यक्त की जाती है।

विश्वासभाजन

25/01

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड, राँची।

D:/pandey/letter 2